भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 506
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 28 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है

नये वाहनों के लिए सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक

506. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नये वाहनों विशेषत: कारों के विनिर्माताओं के लिए चालक तथा सवारियों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए वाहनों के लिए अत्याधुनिक अभिकल्प तथा देश में मौजूद परीक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में वाहनों के सुरक्षित विनिर्माण को सुनिश्चित करने हेतु क्रैश परीक्षण उत्सर्जन और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए नये मापदंड बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां। सरकार ने पहले ही बहुत से सुरक्षा मानकों को पेश किया है, जो बहुत हद तक अंतरराष्ट्रीय विनियमों जैसे ही हैं। इस प्रकार की सभी अनिवार्यताएं समय-समय पर सीएमवीआर के अंतर्गत अधिसूचित होती हैं। निम्नलिखित अनिवार्यताएं नवीनतम हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। ये मानक पहले से ही अधिसूचित हैं जो दर्शाई गई तारीख से लागू हैं।

कार्यान्वयन की तारीख	इन पर लागू होगा	मानक और विवरण	यूएन समकक्ष मानक	के संबंध में
01 अक्तूबर, 2017	**नए कार मॉडल**, और एलएमवी का जीवीडब्ल्यू < 1500 किग्रा	एआईएस 096 – स्टियरिंग कॉलम इनट्रूसन के संबंध में चालक की सुरक्षा (टक्कर की गति ~ 50 किमी/घं)	यूएन ईसीई आर12	पूरी तरह से आमने-सामने की टक्कर का परीक्षण
	नए कार मॉडल– जीवीडब्ल्यू < 2500 किग्रा	एआईएस 098 –ऑफसेट सामने की टक्कर की परिस्थिति में चालक और सवारियों की सुरक्षा (टक्कर की गति – 56 किमी/घं.)	यूएन ईसीई आर98	40% ओवरलैप ऑफसेट सामने की टक्कर का परीक्षण
	नए कार मॉडल और एलसीवी श्रेणी के वाहन (वाहनों की ऊंचाई के संदर्भ में)	एआईएस 099 –पार्श्व टक्कर की परिस्थिति में सवारियों की सुरक्षा (टक्कर की गति – 50 किमी/घं)	यूएन ईसीई आर99	गति परीक्षण रुके हुए वाहन पर सीधी गतिशील विरूप्य बेरियर टक्कर परीक्षण
01 अक्तूबर, 2018	**नए कार मॉडल** – जीवीडब्ल्यू < 2500 किग्रा	एआईएस 100 – कार से टक्कर होने की परिस्थिति में पैदल यात्रियों और चपेट में आ	जीटीआर 9	वाहन के अग्रभाग से पैदल यात्रियों का टकराना।

		सकने वाले अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा		
01 अक्तूबर, 2019	**सभी कार मॉडल**, और एलएमवी का जीवीडब्ल्यू < 1500 किग्रा	एआईएस 096 – स्टियरिंग कॉलम इनट्रूसन के संबंध में चालक की सुरक्षा (टक्कर की गति ~ 50 किमी/घं)	यूएन ईसीई आर12	पूरी तरह से आमने-सामने की टक्कर का परीक्षण
	नए कार मॉडल – जीवीडब्ल्यू < 2500 किग्रा	एआईएस 098 –ऑफसेट सामने की टक्कर की परिस्थिति में चालक और सवारियों की सुरक्षा (टक्कर की गति – 56 किमी/घं.)	यूएन ईसीई आर98	40% ओवरलैप ऑफसेट सामने की टक्कर का परीक्षण
	सभी कार मॉडल और एलसीवी श्रेणी के वाहन (वाहनों की ऊंचाई के संबंध में)	एआईएस 099 –पार्श्व टक्कर की परिस्थिति में सवारियों की सुरक्षा (टक्कर की गति – 50 किमी/घं)	यूएन ईसीई आर99	गति परीक्षण रुके हुए वाहन पर सीधी गतिशील विरूप्य बेरियर टक्कर परीक्षण
01 अक्तूबर, 2020	**सभी कार मॉडल** – जीवीडब्ल्यू < 2500 किग्रा	एआईएस 100 – कार से टक्कर होने की परिस्थिति में पैदल यात्रियों और चपेट में आ सकने वाले अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	जीटीआर 9	वाहन के अग्रभाग से पैदल यात्रियों का टकराना।

सरकार ने एनसीएपी के अनुरूप सुरक्षा रेटिंग स्कीम (भारत न्यू सेफ्टी असेसमेन्ट प्रोग्राम-बीएनवीएसएपी) भी आरंभ की है। बीएनवीएसएपी को उपर्युक्त अनिवार्य मानकों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख): नेट्रिप पहल के अंतर्गत सरकार ने इंदौर (नेट्रेक्स), पुणे (एआरएआई), मानेसर (आईकैट) और चेन्नई (जीएआरसी) में अत्याधुनिक परीक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए परियोजना आरंभ की है। इन केन्द्रों में से, दुर्घटना परीक्षण केन्द्र एआरएआई, पुणे में पहले से ही प्रचालनरत है और आईकैट, मानेसर में सुविधा केन्द्र पूरा होने के आखिरी चरण में है। चेन्नई केन्द्र (जीएआरसी) के अगले वर्ष तक और उसके बाद इंदौर स्थित केन्द्र के तैयार हो जाने की संभावना है।

(ग): उपर्युक्त तालिका में दी गई तारीखों से विनिर्माणाधीन कारों का विनिर्माण अवस्था में ही मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010 से ही सीट बेल्ट और इसके एन्कोरेजेस, चाइल्ड सीट, सीटें और इनके एन्कोरेजेस से संबंधित मानकों को पहले ही चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य बना दिया गया है।

उत्सर्जन के संबंध में, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रेणी एम और श्रेणी एन के 01 अप्रैल, 2019 को या इसके बाद विनिर्मित नए मॉडलों के लिए तथा 01 अप्रैल, 2020 को या इसके बाद विनिर्मित मौजूदा मॉडलों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज V (बीएस V) तथा श्रेणी एम और श्रेणी एन के 01 अप्रैल, 2021 को या इसके बाद विनिर्मित नए मॉडलों के लिए तथा 01 अप्रैल, 2022 को अथवा इसके बाद विनिर्मित मौजूदा मॉडलों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज VI (बीएस VI) को अनिवार्य करने के लिए अपनी वेबसाइट पर मसौदा अधिसूचना अपलोड की है।

******